

बिहार कर्मचारी चयन आयोग  
पो0-वेटनरी कॉलेज, पटना-14

आशुलिपिक/अनुदेशक (आशुलेखन) पदों पर नियुक्ति हेतु आयोजित की जानेवाली प्रतियोगिता  
परीक्षा का विज्ञापन

विज्ञापन सं0-01/23

ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने की तिथि-15.05.2023

आवेदन की अंतिम तिथि-14.06.2023

सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना अन्तर्गत बिहार सचिवालय आशुलिपिक सेवा संवर्ग के आशुलिपिक पद तथा मंत्रिमंडल सचिवालय (राजभाषा विभाग), बिहार, पटना के अंतर्गत अनुदेशक (आशुलेखन) के रिक्त पदों पर नियमित नियुक्ति हेतु बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना को अधियाचना प्राप्त हुई है। अधियाचनानुसार आशुलिपिक/अनुदेशक (आशुलेखन) पद हेतु सुयोग्य भारतीय नागरिकों से ऑनलाइन (Online) आवेदन-पत्र प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से नियुक्ति के लिए आमंत्रित किये जाते हैं। पदों की विवरणी निम्नरूपेण हैं:-

क्र० सं०	पद का नाम	विभाग का नाम	वेतनमान	न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता	तकनीकी योग्यता	वाछनीय योग्यता	आरक्षणवार रिक्तियों की संख्या						कुल पदों की संख्या	स्वतंत्रता सेनानी के पोता/पोती/नाती/नातीनी हेतु आरक्षित पदों की संख्या	दिव्यांग अर्हियों हेतु आरक्षित पदों की सं०	
							अनारक्षित	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	पिछड़ा वर्ग	अत्यंत पिछड़ा वर्ग	अनु० जाति	अनु० जनजाति				पिछड़े वर्ग की महिला
							35% क्षैतिज आरक्षण के तहत महिलाओं हेतु आरक्षित पद									
1	अनुदेशक (आशुलेखन)	मंत्रिमंडल सचिवालय (राजभाषा) विभाग	लेवल-6	इन्टरमीडिएट (10+2) उत्तीर्ण या समकक्ष	आशुलेखन की गति 80 शब्द प्रति मिनट तथा हिन्दी कम्प्यूटर टाईपिंग की गति 30 शब्द प्रति मिनट तथा अंग्रेजी कम्प्यूटर टाईपिंग की गति 35 शब्द प्रति मिनट।	-	03	-	01	01	02	-	07	00	00	
							01	-	01	-	01	-	03			
2	आशुलिपिक	सामान्य प्रशासन विभाग	लेवल-4	इन्टरमीडिएट (10+2) उत्तीर्ण या समकक्ष	आशुलेखन एवं कम्प्यूटर टंकण/कम्प्यूटर के बेसिक/वर्ड्स प्रोसेसिंग का ज्ञान।	-	34	08	39	65	62	04	13	225	02	VI-01 DD-01 OH-00 MD-01
							12	02	03	05	05	01	28			
कुल पदों की संख्या							37	08	40	66	64	04	13	232	02	03
							13	02	04	05	06	01	31			

नोट- I. आशुलिपिक/अनुदेशक (आशुलेखन) पद हेतु कुल 232 पदों के लिए विज्ञापन प्रकाशित है, जिसमें 35% क्षैतिज आरक्षण के तहत कुल 31 पद सम्मिलित हैं। उपर्युक्त सभी रिक्तियाँ औपबन्धिक है, जो घट-बढ़ सकती है।

15/05/2023

नोट- II. दिव्यांगता की प्रकृति इस प्रकार दर्शायी गयी है:- VI-दृष्टि दिव्यांग, DD-मूक बधिर दिव्यांग, OH-चलन दिव्यांग तथा MD-मनोविकार दिव्यांग।

नोट- III. उम्मीदवार अपने निर्धारित शैक्षणिक व तकनीकी योग्यता के अनुरूप पद के विकल्प की प्राथमिकता अंकित करेंगे। उम्मीदवार जिस पद के लिए प्राथमिकता अंकित नहीं करेंगे, उस पद के लिए उनके अभ्यर्थित्व पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

2. न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता:-

ऑनलाइन आवेदन समर्पित करने की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थियों को मान्यता प्राप्त बोर्ड/संस्थान से इन्टरमीडिएट (10+2) या समकक्ष में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।

आशुलिपिक/अनुदेशक (आशुलेखन) पद हेतु मौलवी प्रमाण-पत्र, आई0टी0आई0 (दो वर्षीय पाठ्यक्रम जिसका प्रमाण-पत्र NCVT/SCVT द्वारा निर्गत) एवं पॉलिटेक्निक (तीन वर्षीय अभियंत्रण डिप्लोमा) को इन्टरमीडिएट के समकक्ष माना जायेगा।

3. न्यूनतम तकनीकी योग्यता:- ऑनलाइन आवेदन समर्पित करने की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थियों को मान्यता प्राप्त संस्थान से उपरोक्त तालिका में वर्णित पदों/विभागों के सामने उल्लिखित न्यूनतम तकनीकी योग्यता धारण करना अनिवार्य है।

4. आरक्षण:-

(i) ऑनलाइन आवेदन समर्पित करते समय नियत प्रविष्टि के अधीन इंगित आरक्षण का दावा नहीं करने पर किसी भी परिस्थिति में आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा एवं उन्हें सामान्य (अनारक्षित) श्रेणी में रखा जायेगा। सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र संख्या-70, दिनांक-11.06.1996 एवं बिहार अधिनियम 15/2003 (मूल) के आलोक में राज्याधीन सेवाओं में आरक्षण का लाभ राज्य के मूलवासी को ही देय है। बिहार राज्य के बाहर के निवासी अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा। ऑनलाइन आवेदन समर्पित करते समय स्थायी निवास प्रमाण पत्र का नम्बर एवं तिथि तथा निर्गत करने वाले प्राधिकार का पदनाम अंकित करना होगा, जिसे काउंसिलिंग के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

(ii) आरक्षित कोटि के अभ्यर्थी अपनी जाति के अनुरूप पूर्ण रूप से संतुष्ट होने के पश्चात ही आरक्षण कोटि का दावा ऑनलाइन आवेदन के संबंधित कॉलम में करेंगे एवं ऑनलाइन आवेदन करते समय उनके पास आरक्षण कोटि के अनुरूप सक्षम प्राधिकार से निर्गत वांछित प्रमाण पत्र उपलब्ध होना अनिवार्य होगा। किसी प्रकार की त्रुटि होने पर आरक्षण का दावा मान्य नहीं होगा।

(iii) ऑनलाइन आवेदन पत्र में दावा किये गये आरक्षण श्रेणी में किसी भी परिस्थिति में परिवर्तन नहीं किया जायेगा तथा इस संबंध में किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा। गलत आरक्षण का दावा करने पर उन्हें अनारक्षित श्रेणी में माना जायेगा।

(iv) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति:- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत जाति प्रमाण-पत्र एवं स्थायी निवास प्रमाण-पत्र मान्य होगा। संबंधित प्रमाण-पत्र को काउंसिलिंग के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

(v) पिछड़ा वर्ग/अत्यंत पिछड़ा वर्ग:- पिछड़ा वर्ग तथा अत्यंत पिछड़ा वर्ग श्रेणी के आरक्षित उम्मीदवारों के लिये अपने स्थायी अधिवास राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत क्रीमीलेयर रहित प्रमाण-पत्र मान्य होगा। ऑनलाइन आवेदन समर्पित करने के समय क्रीमीलेयर रहित प्रमाण-पत्र अभ्यर्थियों के पास भौतिक रूप से उपलब्ध होना अनिवार्य है, जिसकी निर्गत संख्या, तिथि सहित ऑनलाइन आवेदन के निर्दिष्ट कॉलम में अंकित करना होगा। पिछड़ा वर्ग/अत्यंत पिछड़ा वर्ग श्रेणी के अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन में अंकित क्रीमीलेयर रहित प्रमाण-पत्र को काउंसिलिंग के समय मूल में प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। एक वर्ष से अधिक पुराने क्रीमीलेयर रहित प्रमाण-पत्र की स्थिति में विहित प्रपत्र-xviii (B) में स्वघोषणा समर्पित करना होगा।

काउंसिलिंग के समय उक्त प्रमाण-पत्र/स्वघोषणा पत्र समर्पित नहीं करने पर अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा।

- (vi) आरक्षण का दावा करने वाली विवाहित महिलाओं का जाति/क्रीमीलेयर रहित प्रमाण-पत्र उनके पिता के नाम एवं पता से निर्गत होना चाहिए, न कि उनके पति के नाम एवं पता से।
- (vii) सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापांक-16144, दिनांक-28.11.2012 के आलोक में नियुक्ति/प्रोन्नति/नामांकन की जारी प्रक्रिया के बीच आरक्षण कोटि में सुधार/बदलाव नहीं किया जा सकता है। अतः परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक जो अभ्यर्थी जिस आरक्षण श्रेणी में होंगे, वही मान्य होगा।
- (viii) **दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए:-**
- A. सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार के संकल्प ज्ञापांक-13062, दिनांक-12.10.2017 के प्रावधान के आलोक में दिव्यांग अभ्यर्थियों को क्षैतिज आरक्षण देय है। विभागों से प्राप्त अधियाचना में दिव्यांग कोटि के अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित पदों की संख्या विभागवार/पदवार उपरोक्त तालिका में अंकित है। यदि कोई रिक्ति किसी उपर्युक्त निःशक्त व्यक्ति की अनुपलब्धता के कारण या किन्हीं अन्य पर्याप्त कारणों से भरा नहीं जायेगा, तो ऐसी रिक्ति नियमानुसार अगली नियुक्ति में अग्रणित की जायेगी।
- B. दिव्यांगता संबंधी आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थियों को काउन्सिलिंग के समय सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प ज्ञापांक-13062, दिनांक-12.10.2017 में संलग्न विहित प्रपत्र (अनुबन्ध-1) में दिव्यांगता प्रमाण पत्र समर्पित करना होगा, अन्यथा उनको दिव्यांगता के आधार पर आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा।  
अस्थायी दिव्यांगता प्रमाण-पत्र में निर्धारित अवधि के बाद नवीकरण (Renewal) नहीं होने की स्थिति में प्रमाण-पत्र विधि मान्य नहीं होगा।
- C. सामान्य प्रशासन विभाग के पत्रांक-10668, दिनांक-29.06.22 के आलोक में दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के अनुरूप सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के कार्यालय ज्ञाप दिनांक-29.08.2018 के आलोक में बेंचमार्क दिव्यांग अभ्यर्थियों को श्रुतिलेखक एवं अन्य सुविधा अनुमान्य है।
- (ix) **स्वतंत्रता सेनानियों के पोता/पोती/नाती/नतीनी अभ्यर्थियों के लिए:-** सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार के पत्रांक-2526, दिनांक-18.02.2016 के आलोक में राज्य के वैसे स्वतंत्रता सेनानियों जिन्हें केन्द्र द्वारा पेंशन स्वीकृत है, के पोता/पोती/नाती/नतीनी को 02 (दो) प्रतिशत आरक्षण देय है। ऐसे अभ्यर्थियों के लिए कर्णांकित रिक्तियों की संख्या तालिका में अंकित है। क्षैतिज आरक्षण के अंतर्गत चयनित उम्मीदवार जिस आरक्षित/गैर आरक्षित वर्ग से संबंधित होंगे, उनकी गिनती उसी आरक्षित/गैर आरक्षित वर्ग में की जाएगी। ऐसे आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थियों के पास आवेदन करते समय अपने गृह जिला के जिला पदाधिकारी या उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी के हस्ताक्षर से निर्गत सामान्य प्रशासन विभाग के पत्रांक-11687, दिनांक-30.08.2016 के साथ संलग्न विहित प्रपत्र में (भूतपूर्व स्वतंत्रता सेनानी के पोता/पोती/नाती/नतीनी होने का) प्रमाण-पत्र निश्चित रूप से उपलब्ध होना चाहिए (स्वतंत्रता सेनानी के उत्तराधिकारी होने का परिचय पत्र मान्य नहीं है)।
- (x) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार के संकल्प संख्या-2342, दिनांक-15.02.2016 के अनुसार बिहार राज्य के सभी सरकारी सेवाओं/संवर्गों के सभी स्तर के एवं सभी प्रकार के पदों पर सीधी नियुक्ति में आरक्षित एवं गैर आरक्षित कोटि में महिलाओं के लिए 35% क्षैतिज आरक्षण प्रदान किया जायेगा। 35% क्षैतिज आरक्षण के तहत महिलाओं के लिए आरक्षित पदों की पदवार एवं कोटिवार संख्या तालिका में अंकित है।
- (xi) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार की अधिसूचना सं0-2622, दिनांक-26.02.2019 के आलोक में सामान्य श्रेणी के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10% आरक्षण देय है। ऐसे अभ्यर्थियों के लिए कर्णांकित रिक्तियों की संख्या तालिका में अंकित है। सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना संख्या-2622, दिनांक-26.02.2019 के आलोक में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आय एवं परिसम्पति प्रमाण-पत्र उपर्युक्त अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची-1 (प्रपत्र-1) में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत होना अनिवार्य है, अन्यथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को देय आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। यह प्रावधान राज्य में

लागू अन्य किसी नियम के द्वारा विभिन्न आरक्षित कोटि के लिए विहित आरक्षण के अतिरिक्त होगी परन्तु राज्य से बाहर के अभ्यर्थी इस नियम के अधीन आरक्षण का लाभ हेतु दावा नहीं करेंगे। आय एवं परिसम्पत्ति संबंधी प्रमाण-पत्र निर्गत किये जाने की तिथि से एक वर्ष के लिए वैध माना जायेगा।

(xii) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार की अधिसूचना सं०- 12722, दिनांक-12.09.2014 के आलोक में किन्नर/कोथी/हिजड़ा/ट्रांसजेंडर (थर्ड जेन्डर) व्यक्तियों को पिछड़े वर्ग को मिलने वाले आरक्षण का लाभ देय होगा।

अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन करते समय किये गये दावे के अनुसार सभी प्रमाण पत्रों का प्रमाण-पत्र वार नम्बर, तिथि एवं निर्गत करने वाले सक्षम प्राधिकार का पदनाम ऑनलाइन आवेदन में अंकित किया जाना अनिवार्य है। काउंसिलिंग/Document Verification के समय ऑनलाइन आवेदन में अंकित प्रमाण पत्रों को ही मूल में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। उपरोक्त वर्णित मूल प्रमाण पत्रों को प्रस्तुत करने के लिए काउंसिलिंग के पश्चात कोई समय देय नहीं होगा।

सभी वांछित प्रमाण-पत्र प्रारंभिक परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन समर्पित करने की अंतिम तिथि तक का निर्गत होना आवश्यक है।

#### 5. उम्र सीमा:-

अभ्यर्थी के उम्र सीमा की गणना दिनांक-01.08.2022 के आधार पर की जाएगी। परन्तु वैसे अभ्यर्थी जो दिनांक-01.08.2016 को सरकार द्वारा निर्धारित अधिकतम उम्र सीमा धारित करते हों एवं उक्त तिथि तक निर्धारित शैक्षणिक योग्यता धारण करते हों, वे भी उम्र सीमा के आधार पर सामान्य प्रशासन विभाग के पत्रांक-212, दिनांक-23.01.2006 के आलोक में इस परीक्षा के लिए पात्र होंगे।

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग (वर्तमान में सामान्य प्रशासन विभाग) के संकल्प संख्या-294, दिनांक-07.01.2016 के अनुसार उम्र सीमा निम्नवत होगी:-

(i) न्यूनतम आयु सीमा - 18 (अठारह) वर्ष।

(ii) अधिकतम आयु सीमा - (i) अनारक्षित वर्ग (पुरुष) -37 वर्ष।

(ii) अनारक्षित वर्ग (महिला) -40 वर्ष।

(iii) पिछड़ा वर्ग/अत्यंत पिछड़ा वर्ग (पुरुष/महिला) -40 वर्ष।

(iv) अनु०जाति/अनु०जनजाति (पुरुष/महिला) -42 वर्ष।

(iii) कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग (सम्प्रति सामान्य प्रशासन विभाग) के संकल्प ज्ञापांक-2374, दिनांक-16.07.2007 एवं पत्रांक-13107, दिनांक-20.09.2019 के आलोक में, ऐसे सरकारी सेवक (बिहार सरकार के नियमित रूप से नियुक्त सरकारी सेवक) जो तीन वर्षों की निरन्तर सेवा पूर्ण कर चुके हों, को उच्चतर वेतनमान की सेवा/सम्बर्ग में जाने के लिए अधिकतम आयु सीमा में 05 (पाँच) वर्षों की छूट अनुमान्य है। बिहार सरकार के सरकारी सेवक को आयु सीमा में छूट का दावा करने की स्थिति में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र काउंसिलिंग के समय जमा करना अनिवार्य होगा, जिसमें यह स्पष्ट रूप से अंकित होना चाहिए कि अभ्यर्थी बिहार सरकार में निरन्तर तीन वर्षों की सेवा पूर्ण कर चुके हैं। निरन्तर तीन वर्षों की सेवा की गणना आवेदन भरने की अंतिम तिथि के आधार पर की जाएगी। परन्तु उक्त आयु सीमा की छूट की अवधि में प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल होने की अनुमति तभी दी जा सकेगी जब उनके द्वारा तबतक अधिकतम 05 (पाँच) अवसरों का उपयोग नहीं किया गया हो।

(iv) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार के संकल्प सं०-22218, दिनांक-12.12.2022 के आलोक में बिहार सरकार के सरकारी सेवकों को सेवा में आने के उपरान्त उनकी पूरी सेवा अवधि में प्रत्येक आयोग (बिहार लोक सेवा आयोग, बिहार तकनकी सेवा आयोग, बिहार कर्मचारी चयन आयोग आदि) द्वारा आयोजित प्रतियोगिता परीक्षाओं में सम्मिलित होने के लिए अलग-अलग अधिकतम कुल 05 (पाँच) अवसर ही अनुमान्य होंगे।

(v) कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग (वर्तमान में सामान्य प्रशासन विभाग), बिहार सरकार के पत्रांक-2447, दिनांक-06.03.1990 के आलोक में भूतपूर्व सैनिकों को उम्र सीमा में 03 (तीन) वर्ष तथा प्रतिरक्षा सेवा में बितायी



गयी सेवा अवधि के योग के समतुल्य रियायत दी जाएगी बशर्ते की उनकी वास्तविक उम्र आवेदन भरने की तिथि को 53 (तिरेपन) वर्ष से अधिक नहीं हो। भूतपूर्व सैनिकों की उम्र सीमा में छूट का दावा करने की स्थिति में तत्संबंधी प्रमाण-पत्र काउंसिलिंग के समय समर्पित करना अनिवार्य होगा।

(vi) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प ज्ञापांक-962, दिनांक-22.01.2021 के आलोक में दिव्यांग अभ्यर्थियों को कोटिवार अधिकतम आयुसीमा में 10 (दस) वर्षों की छूट अनुमान्य है।

#### 6. परीक्षा शुल्क (प्रारंभिक परीक्षा) :-

(क)	सामान्य वर्ग/पिछड़ा वर्ग/अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष अभ्यर्थी	-	540 रुपये।
(ख)	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (बिहार के स्थायी निवासी के लिए)	-	135 रुपये।
(ग)	सभी श्रेणी के दिव्यांगों के लिए (अनु0 जाति/जनजाति के समान)	-	135 रुपये।
(घ)	सभी श्रेणी की महिलायें (सिर्फ बिहार के स्थायी निवासी के लिए)	-	135 रुपये।
(ङ)	बिहार राज्य के बाहर के सभी श्रेणी के अभ्यर्थियों (पुरुष/महिला) हेतु	-	540 रुपये।

परीक्षा शुल्क की राशि पर प्रक्रिया शुल्क (Processing Charge) एवं सेवा कर (Service Tax) अभ्यर्थी द्वारा अलग से वहन किया जायेगा। परीक्षा शुल्क अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन (Credit Card/ Debit Card/UPI/Net Banking आदि के माध्यम से) जमा किया जायेगा।

ऑनलाइन(Online) रजिस्ट्रेशन करने के पश्चात् परीक्षा शुल्क ऑनलाइन पेमेन्ट गेटवे (Online Payment Gateway) के माध्यम से दिनांक-14.04.2022 से 15.05.2022 तक जमा किया जा सकेगा।

मात्र रजिस्ट्रेशन एवं परीक्षा शुल्क का भुगतान करने से यह नहीं माना जाएगा कि अभ्यर्थी द्वारा पूर्ण रूप से ऑनलाइन आवेदन भर लिया गया है। परीक्षा शुल्क किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं किया जायेगा, साथ ही साथ यह अहस्तांतरणीय होगा।

#### 7. परीक्षा की प्रकृति:- वस्तुनिष्ठ।

बिहार कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा संचालन नियमावली-2010 के आलोक में 40 (चालीस) हजार से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की जाएगी। अधिक आवेदन प्राप्त होने पर प्रारंभिक परीक्षा एक से अधिक चरणों में आयोजित की जा सकती है। विभिन्न चरणों में परीक्षा आयोजित किये जाने की स्थिति में परीक्षा परिणाम समानीकरण की प्रक्रिया अपनाते हुये तैयार की जाएगी।

लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकृति की होगी। लिखित परीक्षा के माध्यम से कोटिवार उपलब्ध रिक्तियों के 05 (पाँच) गुणा संख्या के बराबर अभ्यर्थियों का चयन व्यावहारिक परीक्षा के लिए किया जाएगा।

लिखित परीक्षा में एक पत्र सामान्य ज्ञान का होगा, जिसके निम्नांकित विषय होंगे:-

- (क) सामान्य अध्ययन
- (ख) सामान्य विज्ञान एवं गणित
- (ग) मानसिक क्षमता जाँच (Comprehension/Logic/Reasoning/Mental Ability)

प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय होंगे। कुल प्रश्नों की संख्या 150 होगी। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक दिये जायेंगे तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती की जाएगी। परीक्षा की अवधि 2 घंटा 15 मिनट की होगी। प्रारंभिक परीक्षा में भाषा का माध्यम हिन्दी/अंग्रेजी होगा। अगर हिन्दी एवं अंग्रेजी के प्रश्न पत्रों में कोई भिन्नता होगी, तो अंग्रेजी के प्रश्न ही मान्य होंगे।

सिलेबस:- लिखित परीक्षा का सिलेबस निम्न प्रकार से है:-

खंड (क) सामान्य अध्ययन :- इसमें प्रश्नों का उद्देश्य अभ्यर्थी के आस-पास के वातावरण की सामान्य जानकारी तथा समाज में उनके अनुप्रयोग के संबंध में उसकी योग्यता की जाँच करना होगा। वर्तमान घटनाओं और दिन-प्रतिदिन की घटनाओं के सूक्ष्म अवलोकन तथा उनके प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण जैसे मामलों की जानकारी संबंधी ऐसे प्रश्न भी शामिल किये जायेंगे, जिनके बारे में जानकारी रखने की किसी भी शिक्षित व्यक्ति

से अपेक्षा की जाती है। इसमें बिहार, भारत और इसके पड़ोसी देशों के संबंध में विशेष रूप से प्रश्न पूछे जा सकते हैं।

(i) **सम-सामयिक विषय:-** वैज्ञानिक प्रगति, राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, भारतीय भाषाएँ, पुस्तक, लिपि, राजधानी, मुद्रा, खेल-खिलाड़ी, महत्वपूर्ण घटनाएँ।

(ii) **भारत और उसके पड़ोसी देश :-** पड़ोसी देशों का इतिहास, भारत का इतिहास, संस्कृति, भूगोल, आर्थिक परिदृश्य, स्वतंत्रता आन्दोलन, भारतीय कृषि तथा प्राकृतिक संसाधनों की प्रमुख विशेषताएँ, भारत का संविधान एवं राज्य व्यवस्था, देश की राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, सामुदायिक विकास, पंचवर्षीय योजना एवं राष्ट्रीय आन्दोलन में बिहार का योगदान।

**खंड (ख) सामान्य विज्ञान एवं गणित :-** इसमें सामान्यतः मैट्रिक स्तर के निम्न विषय से प्रश्न पूछे जा सकते हैं:-

(i) **सामान्य विज्ञान:-** भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान, भूगोल एवं **कम्प्यूटर के बेसिक/वर्ड्स प्रोसेसिंग के ज्ञान से संबंधित मौलिक प्रश्न।**

(ii) **गणित:-** संख्या पद्धति से संबंधित प्रश्न, पूर्ण संख्याओं का अभिकलन, दशमलव और भिन्न, संख्याओं के बीच परस्पर संबंध, मूलभूत अंक गणितीय संक्रियाएँ, प्रतिशत, अनुपात तथा समानुपात, औसत, ब्याज, एवं लाभ और हानि।

**खंड (ग) मानसिक क्षमता जाँच :-** इसमें शाब्दिक एवं गैर शाब्दिक दोनों प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। **शाब्दिक में** निम्न से संबंधित यथासंभव प्रश्न पूछे जा सकते हैं:- सादृश्य, समानता एवं भिन्नता, स्थान कल्पना, समस्या समाधान, विश्लेषण, दृश्य स्मृति, विभेद, अवलोकन, संबंध अवधारणा, अंक गणितीय तर्कशक्ति, अंक गणितीय संख्या श्रृंखला, कूट लेखन एवं कूट व्याख्या। **गैर शाब्दिक में निम्न से संबंधित यथा संभव प्रश्न पूछे जा सकते हैं :-** श्रृंखला, वर्गीकरण, दर्पण प्रतिबिंब, छिपी हुई आकृति, चित्र मैट्रिक्स, कागज काटना, समूह छविया, आकार निर्माण क्यूब्स और पासा, सादृश्यता, विश्लेषणात्मक तर्क, जल प्रतिबिंब, प्रतिरूप पूर्ण करना, कागज के मोड़, नियम पहचान, डॉट स्थिति, चित्र गठन एवं विश्लेषण।

**व्यावहारिक जाँच परीक्षा:-**

(i) हिन्दी श्रुतिलेख की 80 शब्द प्रति मिनट की गति से 04 मिनट तक लेखापन द्वारा जाँच की जायेगी। लेखापन प्रारंभ करने के पूर्व 01 मिनट का लेखापन जाँच (डिक्टेसन लेख) दिया जायेगा। श्रुतिलेख टंकित करने हेतु 20 मिनट का समय दिया जायेगा। इसके अतिरिक्त उम्मीदवारों को टंकण आरंभ करने से पूर्व 02 मिनट का समय शुद्धि हेतु दिया जायेगा। श्रुतिलेख के टंकण में शुद्धि टंकण हेतु निर्धारित समय के अन्तर्गत करनी होगी। श्रुतिलेख के टंकण में उत्तीर्ण होने के लिए 10 प्रतिशत से अधिक गलतियाँ नहीं होनी चाहिए अन्यथा उन्हें अयोग्य करार दिया जायेगा।

(ii) श्रुतिलेख के अतिरिक्त उम्मीदवारों को हिन्दी में 30(तीस) शब्द प्रति मिनट की गति से 300 शब्दों को 10 मिनट में कम्प्यूटर पर टंकित करना होगा। इसमें उत्तीर्णता प्राप्त करने की लिए 1.5(डेढ़) प्रतिशत से अधिक गलतियाँ नहीं होनी चाहिए अन्यथा उन्हें अयोग्य करार दिया जायेगा।

उक्त दोनों कंडिकाओं में निर्धारित व्यावहारिक जाँच परीक्षा के अतिरिक्त मंत्रिमंडल सचिवालय (राजभाषा) विभाग के अंतर्गत अनुदेशक (आशुलेखन) पद हेतु उम्मीदवारों को अंग्रेजी में भी 35(पैंतीस) शब्द प्रति मिनट की गति से 350 शब्दों को 10 मिनट में कम्प्यूटर पर टंकित करना होगा। इसमें उत्तीर्णता प्राप्त करने की लिए 1.5(डेढ़) प्रतिशत से अधिक गलतियाँ नहीं होनी चाहिए अन्यथा उन्हें अयोग्य करार दिया जायेगा।

**नोट:-** लिखित परीक्षा के बाद व्यावहारिक परीक्षा हेतु विस्तृत सूचना प्रकाशित की जायेगी एवं प्रकाशित सूचना के आलोक में ही व्यावहारिक परीक्षा का आयोजन किया जायेगा।

**क्वालीफाइंग मार्क्स:-**

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग (सामान्य प्रशासन विभाग) द्वारा निर्गत संकल्प सं0-2374, दिनांक-16.07.2007 के आलोक में लिखित परीक्षा में अभ्यर्थियों को न्यूनतम अर्हतांक प्राप्त करना अनिवार्य होगा, जो निम्नांकित हैं:-

सामान्य वर्ग	-	40 प्रतिशत
पिछड़ा वर्ग	-	36.50 प्रतिशत
अत्यन्त पिछड़ा वर्ग	-	34 प्रतिशत
अनुजाति/जनजाति	-	32 प्रतिशत
महिला (सभी वर्ग)	-	32 प्रतिशत
दिव्यांग (सभी वर्ग)	-	32 प्रतिशत

**8. ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से संबंधित तिथि एवं अन्य निर्देश:-**

(i)

ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि	दिनांक-15.05.2023
ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि	दिनांक-14.06.2023

- (ii) ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु विस्तृत आवश्यक निदेश आयोग के वेबसाईट <https://bssc.bihar.gov.in> पर उपलब्ध है। इन निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन नहीं करने पर एवं ऑनलाइन आवेदन भरने के क्रम में अभ्यर्थी द्वारा की गयी प्रविष्टि में किसी प्रकार की त्रुटि के लिए आयोग जिम्मेवार नहीं होगा।
- (iii) ऑनलाइन आवेदन की प्रविष्टियों में किसी प्रकार के सुधार/परिवर्तन हेतु समर्पित अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।
- (iv) अभ्यर्थी के नाम/माता का नाम/पिता का नाम/जन्मतिथि मैट्रिक या समकक्ष के प्रमाण पत्र/अंक पत्र के अनुसार होना चाहिए।
- (v) सभी अभ्यर्थी अपनी कोटि (Category) की प्रविष्टि सावधानीपूर्वक पूर्णतः आश्वस्त होने के उपरान्त ही भरें।
- (vi) दृष्टिहीन या कम दृष्टि वाले दिव्यांग अभ्यर्थी, जिनकी निःशक्तता 40% या उससे अधिक है और उन्हें श्रुतिलेखक की आवश्यकता है तो उन्हें श्रुतिलेखक (Scribe) नियमानुसार उपलब्ध कराया जायेगा।
- (vii) अभ्यर्थी आवेदन भरने के समय अपना साफ (Clear) एवं उच्च गुणवत्ता का फोटोग्राफ अपलोड करेंगे, जिसमें पूरा चेहरा तथा आँखें खुली दिखनी चाहिए एवं फोटोग्राफ की पृष्ठभूमि सफेद होनी चाहिए। अभ्यर्थी इस फोटो की कम से कम पाँच अतिरिक्त प्रतियाँ अपने पास सुरक्षित रखेंगे, ताकि आवश्यकता पड़ने पर या आयोग द्वारा माँगे जाने पर उसे उनके द्वारा जमा किया जा सके।
- (viii) अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन भरने मात्र से ही उनकी अभ्यर्थित्व सुनिश्चित नहीं मानी जाएगी। अभ्यर्थियों की अर्हता के संबंध में उनके द्वारा प्रस्तुत प्रमाण-पत्रों/वैध कागजातों के आधार पर आयोग अंतिम निर्णय लेगा।
- (ix) योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र वही मान्य होंगे, जिनका उल्लेख उम्मीदवारों ने अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र में किया है।
- (x) अभ्यर्थी को सभी वांछित प्रमाण पत्र मूल में काउंसिलिंग के समय सत्यापन हेतु प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। प्रमाण पत्र मूल में काउंसिलिंग के समय प्रस्तुत नहीं करने पर उनकी उम्मीदवारी प्रभावित/रद्द होगी तथा इस संबंध में आयोग का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा।
- (xi) **अभ्यर्थी यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रारंभिक परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन समर्पित करते समय उनके पास सभी वांछित प्रमाण-पत्र एवं अंक-पत्र मूल रूप में उपलब्ध हैं।**

8  
15/05/2023

9. महत्वपूर्ण निर्देश:-

- (i) किसी अभ्यर्थी के परीक्षा में सम्मिलित होने की पात्रता का निर्धारण आयोग द्वारा किया जायेगा और यह अंतिम होगा। *उन्हीं अभ्यर्थियों को परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए योग्य माना जायेगा, जिन्हें आयोग द्वारा प्रवेश-पत्र (Admit Card) निर्गत किया जायेगा।*
- (ii) किसी प्रकार की पैरवी करने या कराने अथवा गलत या अपूर्ण सूचना देने अथवा चयन की प्रक्रिया को किसी प्रकार का अनुचित तरीका अपनाकर नियुक्ति प्रभावित करने का प्रयास करने पर अभ्यर्थियों का अभ्यर्थित्व रद्द कर दिया जायेगा।
- (iii) अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन समर्पित करने के क्रम में हिन्दी एवं अंग्रेजी हस्ताक्षर को स्कैन कर अपलोड करेंगे तथा पूरी परीक्षा प्रक्रिया में इसी प्रकार के हस्ताक्षर का उपयोग करेंगे।
- (iv) अभ्यर्थी आवेदन-पत्र को Submit करने के पूर्व Preview देखकर संतुष्ट हो लेंगे, एवं यदि कोई सुधार आवश्यक हो, तो Edit option का उपयोग कर आवश्यक सुधार करने के उपरान्त ही आवेदन-पत्र को Submit करेंगे।
- (v) वैध एवं सक्रिय मोबाईल नम्बर तथा ई-मेल आईडी0 दर्ज करना अनिवार्य है क्योंकि भविष्य में संवाद के लिए इसे इस्तेमाल किया जाएगा। अगर आप गलत या अवैध मोबाईल नम्बर या ई-मेल आईडी0 दर्ज करते हैं, तो भविष्य में महत्वपूर्ण सूचनाएँ प्राप्त करने से वंचित हो जायेंगे, जिसके लिए आयोग जिम्मेवार नहीं होगा।
- (vi) अभ्यर्थी अपना **Application Form Number/Registration Number/Roll Number** को सुरक्षित रखेंगे। अभ्यर्थी पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन पत्र (फोटो सहित) की प्रति अपने पास सुरक्षित रखें। किसी भी परिस्थिति में डूप्लीकेट/द्वितीयक रजिस्ट्रेशन नम्बर/एप्लिकेशन फार्म नम्बर/प्रवेश पत्र आयोग द्वारा बाद में निर्गत नहीं किये जायेंगे।
- (vii) विभिन्न परीक्षाओं के दौरान कतिपय अभ्यर्थियों के द्वारा पररूपधारण (**Impersonation**) करने का प्रयास किया जाता रहा है। अतएव अभ्यर्थियों का परीक्षा के दौरान **Biometric Thumb Impression/Iris Capture** लिया जा सकता है, ताकि चयन की प्रक्रिया के दौरान अभ्यर्थियों के **Biometric Thumb Impression/Iris Capture** का मिलान किया जा सके। **Biometric Thumb Impression/Iris Capture** मिलान नहीं होने पर संबंधित अभ्यर्थी का अभ्यर्थित्व रद्द करते हुए उसके विरुद्ध आयोग द्वारा विधि सम्मत यथोचित कार्रवाई की जायेगी।
- (viii) वैसे अभ्यर्थी प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने के हकदार नहीं होंगे जिन्हें संघ लोक सेवा आयोग/किसी राज्य लोक सेवा आयोग/अन्य चयन आयोग द्वारा निर्दिष्ट अवधि तक कदाचार के मामलों में परीक्षा से वंचित कर दिये जाने का आदेश पारित किया गया हो।
- नोट:-उम्मीदवारों की अर्हता, आवेदन पत्रों को स्वीकार/अस्वीकार करने, चयन की प्रक्रिया, परीक्षा के आयोजन, परीक्षा केन्द्रों का आवंटन/निर्धारण, परीक्षाफल तैयार करने की प्रक्रिया एवं सफल उम्मीदवारों के पदों/संवर्ग के लिए चयन एवं आवंटन के संबंध में आयोग का निर्णय अंतिम होगा, जो सभी अभ्यर्थियों के लिए बाध्यकारी/मान्य होगा तथा इसके संबंध में किसी भी प्रकार की जानकारी/पत्राचार के संबंध में विचार नहीं किया जाएगा।

10. अन्य:-

- (i) किसी उम्मीदवार की पात्रता का निर्धारण आयोग द्वारा किया जायेगा और यह अंतिम होगा। वैसे ही उम्मीदवार लिखित परीक्षा/व्यावहारिक जाँच परीक्षा/काउंसिलिंग में सम्मिलित हो सकेंगे, जिन्हें एतदर्थ आयोग द्वारा सूचित/आमंत्रित किया जायेगा। सूचना देने/आमंत्रण मात्र से अर्हता की सम्पुष्टि नहीं मानी जायेगी। किसी उम्मीदवार के लिखित परीक्षा/व्यावहारिक जाँच परीक्षा/काउंसिलिंग में सम्मिलित होने के लिए पात्रता/अपात्रता के बिन्दु पर आयोग का निर्णय अंतिम होगा।
- (ii) बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित काउंसिलिंग के दौरान अभ्यर्थियों के प्रमाण-पत्रों की संवीक्षा एवं उनकी विज्ञापन के अनुरूप अर्हता निर्धारित करने के लिए की जाती है एवं अभ्यर्थी मात्र लिखित



- परीक्षा/व्यावहारिक जाँच परीक्षा/काउंसिलिंग में सम्मिलित होने के आधार पर चयन का दावा नहीं कर सकते हैं।
- (iii) किसी प्रकार की पैरवी करने या कराने अथवा गलत या अपूर्ण सूचना देने अथवा चयन की प्रक्रिया को किसी प्रकार का अनुचित तरीका अपनाकर प्रभावित करने अथवा दबाव बनाने का प्रयास करने पर अभ्यर्थित्व रद्द कर दिया जायेगा।
- (iv) अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि ऑनलाइन आवेदन भरने के समय प्रत्येक पेज पर विवरणी दर्ज करने के बाद Submit/Save Next Button Click करना है। प्रदर्शित पेज पर दर्ज किये गये विवरणी में यदि परिवर्तन करना चाहते हैं तो Edit Option का उपयोग किया जा सकता है। Final Submit करने के पूर्व अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि उनके द्वारा सभी प्रविष्टियाँ पूर्ण एवं सही ढंग से भरी गई हैं। Final Submit करने के पश्चात् किसी भी परिस्थिति में किसी प्रकार की त्रुटि का परिमार्जन नहीं किया जा सकेगा।
- अभ्यर्थियों के लिए ऑनलाइन आवेदन में ही Edit Option प्रदत्त है। अतएव ध्यानपूर्वक ऑनलाइन प्रपत्र में प्रविष्टियाँ की जाय। आवेदन समर्पित करने के पश्चात् त्रुटि परिमार्जन हेतु किसी भी आवेदन पर आयोग द्वारा विचार नहीं किया जायेगा।
- (v) आवेदन में अपना रंगीन फोटो जिसका बैकग्राउंड व्हाइट हो और जो दो माह से अधिक पुराना न हो को ही अपलोड करेंगे। किसी भी परिस्थिति में पुराना फोटो अपलोड नहीं करेंगे।
- (vi) एक अभ्यर्थी द्वारा मात्र एक ही ऑनलाइन आवेदन पत्र भरा जाना है। किसी अभ्यर्थी द्वारा एक से अधिक आवेदन पत्र भरे जाने की स्थिति में उनके सभी आवेदन पत्रों को अस्वीकृत करते हुए उनका अभ्यर्थित्व रद्द कर दिया जाएगा। वैसे अभ्यर्थी को फर्जी नाम एवं पता के आधार पर आवेदन पत्र भरेंगे, उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
- (vii) आवेदन करने से पूर्व अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लेंगे कि वे विज्ञापन की शर्तों के आलोक में निर्धारित आयु, शैक्षणिक योग्यता, तकनीकी योग्यता आदि सभी पात्रता को पूर्ण करते हैं।
- (viii) अभ्यर्थी मैट्रिक परीक्षा के मूल प्रमाण पत्र के आधार पर आवेदन पत्र में अपनी जन्मतिथि, नाम तथा माता/पिता/पति के नाम का सही-सही उल्लेख करेंगे। आवेदन पत्र में अभ्यर्थी अपना नाम, माता/पिता/पति का नाम, पता, शैक्षणिक योग्यता आदि सभी सूचनाएँ बिल्कुल सही-सही भरेंगे। प्रमाण पत्रों से मिलान के समय यदि इनमें कोई भिन्नता पायी जाती है, तो आवेदक/आवेदिका की उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है।
- (ix) वैध एवं सक्रिय मोबाईल नम्बर तथा ई-मेल आईडी0 दर्ज करना अनिवार्य है क्योंकि भविष्य में भावी संवाद के लिए इसे इस्तेमाल किया जाएगा। अगर आप गलत या अवैध मोबाईल नम्बर दर्ज करते हैं, तो भविष्य में महत्वपूर्ण सूचनाएँ प्राप्त करने से वंचित हो जायेंगे।
- (X) भविष्य में पत्राचार/जानकारी प्राप्त करने के लिए Application Form Number /Registration Number/Roll Number होना आवश्यक है। अतः पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन पत्र (फोटो सहित) की प्रति अभ्यर्थी अपने पास सुरक्षित रखें। किसी भी परिस्थिति में डूप्लीकेट/द्वितीयक रजिस्ट्रेशन नम्बर/एप्लिकेशन फार्म नम्बर/प्रवेश पत्र निर्गत नहीं किये जायेंगे।

#### 11. आवश्यक निर्देश:-

कदाचार/गलत आचरण करने वाले अभ्यर्थियों की उम्मीदवारी रद्द किये जाने के साथ-साथ भविष्य में आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं से वंचित किया जा सकता है तथा ऐसे अभ्यर्थियों के विरुद्ध विधि-सम्मत कार्रवाई भी की जा सकती है। कदाचार/गलत आचरण के अन्तर्गत निम्न बिन्दु शामिल हैं:-

- काउंसिलिंग/साक्षात्कार में मोबाईल फोन, ब्लूटूथ, ऐनालॉग/डिजिटल/इलेक्ट्रॉनिक घड़ी या अन्य किसी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक गैजेट पाए जाने पर।
- पररूपधारण (Impersonation) करने पर।
- काउंसिलिंग/साक्षात्कार कार्य में संलग्न पदाधिकारियों/कर्मियों को धमकाने या शारीरिक रूप से क्षति पहुँचाने पर।

- इसके अतिरिक्त पूरी परीक्षा प्रक्रिया (यथा:-काउंसिलिंग, साक्षात्कार) के दौरान कोई भी अन्य कारण जिसे आयोग द्वारा उम्मीदवारी रद्द करने योग्य समझा जाता है, ऐसे अभ्यर्थियों की उम्मीदवारी बिना कारण बताये रद्द की जा सकती है।

- नोट:-** (i) उम्मीदवारों की अर्हता, आवेदन पत्रों को स्वीकार/अस्वीकार करने, चयन की प्रक्रिया, काउंसिलिंग/साक्षात्कार के आयोजन का निर्धारण, परीक्षाफल तैयार करने की प्रक्रिया एवं सफल उम्मीदवारों के पदों/विभाग के लिए चयन एवं आवंटन के संबंध में आयोग का निर्णय अंतिम होगा, जो सभी अभ्यर्थियों के लिए बाध्यकारी/मान्य होगा तथा इनके संबंध में किसी भी प्रकार की जानकारी/पत्राचार के संबंध में विचार नहीं किया जाएगा।
- (ii) ऑनलाइन आवेदन-पत्र के अंत में अभ्यर्थी द्वारा विज्ञापन से संबंधित प्रविष्टियों के संबंध में किये गए घोषणा-पत्र पर सहमति प्रदान करना अनिवार्य है।

12. **घोषणा:-**

मैं घोषणा करता/करती हूँ कि मैंने आयोग द्वारा प्रकाशित विज्ञापन तथा निर्देशों को भली-भाँति पढ़ लिया है। जब भी आयोग मेरे द्वारा दिये गये विवरण की पुष्टिकरण माँगेगा, मैं निदेशानुसार आवश्यक सभी संबंधित दस्तावेजों को प्रस्तुत करूँगा/करूँगी। मैं घोषणा करता/करती हूँ कि मैंने कोई अतिरिक्त डूप्लिकेट आवेदन या समान विवरण का आवेदन नहीं भरा है। मैं यह भी जानता/जानती हूँ कि यदि मेरे द्वारा दी गयी जानकारी सही साबित नहीं हुई, तो मेरा आवेदन पत्र रद्द कर दिया जाएगा और कानून के अनुसार मुझे परिणामों का सामना करना पड़ेगा।

13. **अंतिम तिथि:-**

ऑनलाइन आवेदन दिनांक-15.05.2023 से 14.06.2023 की रात्रि 11:59 बजे (Server Time) तक आयोग के वेबसाईट <https://bssc.bihar.gov.in> पर भरा जा सकता है। अन्य किसी माध्यम से भेजे गये आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे। ऑनलाइन आवेदन पत्र की प्रति को बिहार कर्मचारी चयन आयोग कार्यालय में भेजने की कोई आवश्यकता नहीं है।

15/05/2023  
सचिव

बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना।